FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

मु.चांदीबाई बलाई पुत्री पोखर जी, निम्बाहेडा	बनाम	मु.रूकमणीबाई पुत्री पोखर बलाई, निवासी निम्बाहेडा व अन्य

किस्म मुकदमा अपील 79 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उपस्थित होने हेतु आवाजें दिलवाई गई। प्रकरण की सुनवाई हेतु के लिए पुकार होने पर न्यायालय समय समाप्त होने एवं न्यायालय उठने तक अधिवक्ता अपीलान्ट / अपीलान्ट उपसंजात नहीं हुए, साथ ही प्रश्नगत प्रकरण / अपील अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त अवसर उपभोग उपरान्त भी प्रत्यर्थी के सम्मन / नोटिस प्रस्तुत नहीं किए। अधिवक्ता अपीलान्ट / अपीलान्ट द्वारा समय पर न्यायालय आदेशानुसार तामिले प्रस्तुत नहीं करना एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना, यह दर्शाता है कि वह प्रश्नगत अपील नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रकरण / अपील अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। संभागीय आयुक्त उदयपुर	